उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज (झारखंड)
(जिला पंचायत कार्यालय, साहेबगंज)
संविदा आधारित नियुक्ति
विज्ञापन संख्या– 01/2017

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड, राँची के पत्रांक 1453 दिनांक 03.05.2016 के आलोक में विज्ञापन संख्या--01/2016 के कम में साहेबगंज जिला अन्तर्गत कुल स्वीकृत 55 पद के विरूद्ध कुल 43 लेखा लिपिक--सह–कम्प्युटर ऑपरेटर के पद पर संविदा आधारित नियुक्त किया गया है। शेष 12 पद केवल अ0ज0जा0 कोटि हेतु रिक्त है।

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड राँची की अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार प्रत्येक तीन पंचायत पर एक लेखा लिपिक--सह–कम्प्युटर ऑपरेटर को पंचायतों में मासिक मानदेय पर रखने की स्वीकृति प्राप्त है।

अ0ज0जा0 आरक्षण कोटि के रिक्त पद की संख्या एवं मासिक मानदेय निम्न प्रकार हैः--

क्र0	पद	अ0ज0जा0	मासिक मानदेय	अभ्युक्ति
1.	लेखा लिपिक--सह--कम्प्युटर ऑपरेटर	12	10000/–	कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्त कर्मियों को मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

उपरोक्त रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य अ0ज0जा0 अभ्यार्थियों से निम्न दिशा निर्देश एवं शर्तों के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.09.17 के अपराह्न 05:00 बजे तक होगी।

1. **पद का नाम– लेखा लिपिक–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर**

(ख) शैक्षणिक योग्यता–

(i) अनिवार्य योग्यताः-- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम0/बी0एस0सी0 (गणित/संख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/संख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित है।

(ii) वांछनीय योग्यताः-- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) उम्र सीमाः-- उम्र सीमा निम्नवत रहेगीः–

(i) अनुसूचित जनजाति के लिएः– 40 वर्ष

नियुक्ति की प्रकिया उम्र की गणना की तिथिः-- (Cut off date --01.01.2016)

1. जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।
2. नियुक्ति शैक्षिणक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय) अनुभव, साक्षात्कार एवं कम्प्युटर टेस्ट के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

2. आवेदन पत्र समर्पित करने की प्रकियाः–

(i) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे तथा वांछित सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के स्वभिप्रमाणित प्रति एवं शुल्क का बैंक ड्राफ्ट के साथ उपायुक्त, साहेबगंज के पदनाम से निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य होगा। लिफाफे पर निश्चित रूप से आवेदित पद का नाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में लिखना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 25-09-17 के अपराह्न 05:00 बजे तक है।

(ii) आवेदन पत्र के साथ एवं स्वपता (समाचार पत्र) लिखा लिफाफे निबंधित डाक हेतु निर्धारित टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे साहेबगंज जिले के वेबसाईडः– sahibganj.nic.in/panchayat.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है।

(iv) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगाः–

क0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	लेखा लिपिक–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर	300/–	अनुसूचित जनजाति

(v) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान उपायुक्त, साहेबगंज के पदनाम से राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट की संख्या राशि तिथि तथा निर्गत बैंक का नाम अनिवार्य रूप से लिखेंगें। इसी प्रकार बैंक ड्राफ्ट की पीठ पर बायीं तरफ अपना नाम संक्षिप्त पता एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

(vi) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25-09-17 निर्धारित की जाती है। अधूरा भरा आवेदन पत्र/आवेदन शुल्क रहित आवेदन पत्र/ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं रहने तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. सेवा शर्त्तः–

(i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा उस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की इस परियोजनार्थ नवीकरण के लिए भी समिति मानी जायेगी।

(ii) यदि कोई कार्यरत लेखा लिपिक–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे

कार्यरत लेखा लिपिक--सह--कम्प्युटर ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत लेखा लिपिक--सह--कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर सकेंगे परन्तु कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर ऐसे कार्यरत लेखा लिपिक--सह--कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों की क्षमता, निधि की उपलब्धता, कर्मियों की आवश्यकता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(v) कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

(vi) आवेदक को देय एक मुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दुरभाष एवं इन्टरनेट की सुविधा भी सम्मिलित होगी।

(vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय भुगतान किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

(ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला चयन समिति,
साहेबगंज।